



2026:AHC: 161278

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2741/1987

अंशू एवं अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : एम.सी. सिंह, एम.सी. सिंह, विदित नारायण मिश्रा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.जी.ए.

23.07.2026 को सुरक्षित

03.08.2026 को पारित

न्यायालय संख्या- 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. वर्तमान अपील के माध्यम से, अभियुक्त-अपीलार्थी अंशू और रमज़ान विद्वान पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला बुलंदशहर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 281 वर्ष 1985 (राज्य बनाम अंशू और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 128 वर्ष 1985 से उत्पन्न हुआ है, में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.1987 को चुनौती दे रहे हैं, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. अभियोजन का प्रकरण सूचनादाता की लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) से उत्पन्न होता है, जिसके अनुसार, 21.12.1985 को शाम को, जब सूचनादाता काम पर गया था, कुछ बदमाश उसकी बेटी (इसके बाद 'एक्स' के रूप में संदर्भित) को गन्ने के खेत में ले गए। जब सूचनादाता 22.12.1985 को आया, तो उसने अपनी बेटी को घर पर नहीं पाया, उसने खोज की लेकिन 'एक्स' का पता नहीं चल सका। 22.12.1985 को, शेर अली का पुत्र अजीज और निवाज़ खान का पुत्र लक्खी अपने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



खेत में जा रहे थे, तभी मुन्नी के गन्ने के खेत में, उन्होंने कुछ शोर सुना, शोर सुनकर, वे खेत में घुसे और अपने गांव के तीन व्यक्तियों को बलात्कार करते हुए देखा, अर्थात् निहाल खान का पुत्र मोहम्मद खान मौके से भाग गया, रहमान का पुत्र अभियुक्त रमज़ान, नसरू का पुत्र अंशू मौके पर पकड़े गए, जब वे 'एक्स' के साथ बलात्कार कर रहे थे। ऐसी रिपोर्ट पर, अभियुक्तों अर्थात् मोहम्मद खान, रमज़ान और अंशू के विरुद्ध थाना उसराहार, जिला बुलंदशहर में 25.12.1985 को मुकदमा अपराध संख्या 164 वर्ष 1985, धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। वाद को विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी को सौंपा गया और 25.12.1985 को दोपहर लगभग 03:00 बजे पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। तत्पश्चात पीड़िता सहित गवाहों के बयान धारा 161 द.प्र.सं. और 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना अधिकारी ने साक्ष्य एकत्र करने के पश्चात, अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत करके विवेचना संपन्न किया, जिस पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा 11.04.1986 को संज्ञान लिया गया। मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और वाद को सत्र परीक्षण संख्या 281 वर्ष 1986 (राज्य बनाम अंशू और अन्य) के रूप में दर्ज किया गया। अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त-अपीलार्थियों ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की। परिणामस्वरूप, विचारण शुरू हुआ।

3. विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य पर भरोसा किया:-

- (i) लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1).
- (ii) चोट रिपोर्ट (प्रदर्श क-2)
- (iii) पूरक रिपोर्ट (प्रदर्श क-3)
- (iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-4)
- (v) अनुक्रमणिका सहित घटनास्थल का नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-6)
- (vi) अनुक्रमणिका सहित घटनास्थल का नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-7)
- (vii) मूल आरोप पत्र (प्रदर्श क-8)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(viii) एक्स-रे रिपोर्ट (प्रदर्श क-9)

4. अभियोजन पक्ष की ओर से, विचारण न्यायालय के समक्ष आठ अभियोजन गवाहों का परीक्षण किया गया। पीड़िता 'एक्स' का परीक्षण पी.डब्ल्यू.1 के रूप में किया गया, पी.डब्ल्यू. 2 लक्खी, पी.डब्ल्यू.3 अजीज, पी.डब्ल्यू.4 नूर मोहम्मद खान, पी.डब्ल्यू.5 डॉ. आशा शर्मा, पी.डब्ल्यू.6 दोस्त मोहम्मद, पी.डब्ल्यू.7 कल्याण सिंह यादव, पी.डब्ल्यू.8 डॉ. ए.के. दुबे जबकि कोई बचाव गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. 'एक्स' ने अभियोजन पक्ष के मामले का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है और कहा है कि घटना के दिन शाम लगभग 04:00 बजे शौच के बाद जब वह अपनी सलवार बांध रही थी, तो अभियुक्त-अपीलार्थियों ने उसे पकड़ लिया और मुन्नी के गन्ने के खेत की ओर घसीट ले गए, जहां दोनों अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी कहा है कि पी.डब्ल्यू.2 लक्खी और पी.डब्ल्यू.3 अजीज ने उसे खेत से बाहर निकाला।

6. तथ्य के गवाहों पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 ने कहा है कि उन्होंने मुन्नी के खेत से 'एक्स' को बरामद किया है और घटना को देखा है। उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि जब वे अपने खेत की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने मुन्नी के गन्ने के खेत में एक शोर सुना और वे उस खेत की ओर दौड़े और देखा कि अभियुक्त-अपीलार्थी 'एक्स' के साथ बलात्कार कर रहे थे।

7. पी.डब्ल्यू.4 सूचनादाता और 'एक्स' का पिता है। अभियोजन पक्ष के संस्करण के अतिरिक्त, उसने यह भी कहा है कि घटना के पश्चात, 'पंचायत' बुलाई गई थी और 'पंचायत' के दौरान यह तय हुआ था कि दोनों अभियुक्तों पर 552.0 रुपये का जुर्माना लगाया जाए और साथ ही उनका मुंह काला करके गांव में उनका जुलूस निकाला जाए, लेकिन पंचायत अंतिम रूप नहीं ले सकी। तत्पश्चात, 25.12.1985 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

8. पी.डब्ल्यू.5 डॉ. आशा कुमार हैं, जिन्होंने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया था। डॉ. ए.के. दुबे रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने 'एक्स' का एक्स-रे किया था और दोनों गवाहों ने चोट रिपोर्ट के साथ-साथ एक्स-रे रिपोर्ट का समर्थन किया है।

9. पी.डब्ल्यू.6 दोस्त मोहम्मद हैं और वह एक पंचायत गवाह हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 'एक्स' के अपहरण के संबंध में, लगभग दो दिनों तक 'पंचायत' आयोजित की गई थी। उन्होंने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यह भी कहा है कि प्रत्येक अभियुक्त-अपीलार्थी पर 551/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था और उनका मुंह काला करने का प्रस्ताव था लेकिन ग्राम प्रधान ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को भगा दिया था।

10. पी.डब्ल्यू.7 विवेचना अधिकारी हैं, जो औपचारिक गवाह हैं और विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर, अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

11. विचारण के दौरान अभियुक्त-अपीलार्थियों का उनके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए तात्त्विक साक्ष्य से आमना-सामना कराया गया। धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत उनके बयान दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और प्रस्तुत किए गए साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं।

12. विचारण के दौरान प्रस्तुत की गई उपरोक्त सामग्री के आधार पर, सत्र न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त अपीलार्थियों का अपराध स्पष्ट रूप से युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित हो गया है और परिणामस्वरूप, अभियुक्त-अपीलार्थियों को विधि के अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है।

13. अभियुक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 अंशू के विद्वान अधिवक्ता श्री विदित नारायण मिश्रा और अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 रमज़ान के विद्वान न्याय मित्र श्री नीरव श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिन विलंबित है और इस अत्यधिक विलंब का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रारंभ में प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और विवेचना के दौरान, अभियुक्त मोहम्मद खान का नाम हटा दिया गया था जो स्वयं अभियोजन पक्ष की कहानी को झुठलाता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि 25.12.1985 को 'एक्स' का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें डॉक्टर द्वारा यह राय दी गई है कि बाहरी और आंतरिक परीक्षण से, हाल ही में हुए बलात्कार का कोई साक्ष्य नहीं मिल सका। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त के अतिरिक्त, 25.01.1986 को 'एक्स' की पूरक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि 'एक्स' यौन संबंध की अभ्यस्त है और 'एक्स' सोलह वर्ष से अधिक की है। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि पीड़िता को कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं आई और चिकित्सीय परीक्षण के साथ-साथ पूरक चिकित्सीय रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के संस्करण की पुष्टि नहीं करते हैं। विद्वान

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विकृत निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि सत्र न्यायालय ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दोषसिद्धि और दंडादेश का निष्कर्ष दर्ज करने में त्रुटि की है क्योंकि गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं है और अभियुक्त-अपीलार्थियों को झूठा फंसाया गया है। इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

14. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. श्री चंदन सिंह ने प्रस्तुत किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा अपराध कारित किया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, दोषसिद्धि के निष्कर्ष दर्ज किए और अभियुक्त-अपीलार्थियों को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है और इस प्रकार दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और आदेश इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।

15. मैंने अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 1 अंशू के विद्वान अधिवक्ता श्री विदित नारायण मिश्रा और अभियुक्त-अपीलार्थी संख्या 2 रमजान के विद्वान न्याय मित्र श्री नीरव श्रीवास्तव, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री चंदन सिंह को सुना है और विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है।

16. विद्वान विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि के निष्कर्ष दर्ज करते समय यह प्रेक्षण किया है कि अभियुक्त-अपीलार्थियों ने 'एक्स' के साथ जबरन बलात्कार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, विद्वान विचारण न्यायालय ने 'एक्स' के बयान पर विचार किया है, जिसने विशेष रूप से कहा है कि जब वह शौच के लिए गई थी और शौच के पश्चात, वह अपने कपड़े बांध रही थी, अभियुक्त-अपीलार्थी तालाब पर आए और उसे गन्ने के खेत में ले गए और 'एक्स' के साथ गलत काम किया। 'एक्स' के बयान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यौन संबंध उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध था। 'एक्स' के बयान के अतिरिक्त, पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 ने भी कहा है कि जब वे अपने खेतों की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने मुन्नी के गन्ने के खेत में एक शोर सुना और उसके खेत की ओर दौड़े और देखा कि अभियुक्त-अपीलार्थी 'एक्स' के साथ बलात्कार कर रहे थे। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को दोषसिद्ध किया है और दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोक मल उर्फ लोक् बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2025 (4) एससीसी 470 के वाद में प्रस्तर संख्या 13, 16, 17 और 18 में विश्लेषण किया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

"13. केवल इसलिए कि चिकित्सीय साक्ष्य में, कोई बड़े चोट के निशान नहीं हैं, यह अभियोक्त्री के अन्यथा विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज करने का कारण नहीं हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वाद में जहां बलात्कार का आरोप है, वहां पीड़िता के निजी अंगों पर चोट होनी ही चाहिए और यह किसी विशेष वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हम दोहराते हैं कि पीड़िता के निजी अंगों पर चोटों की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले के लिए हमेशा घातक नहीं होती है। अभियोक्त्री के संस्करण के अनुसार, अभियुक्त ने उस पर काबू पा लिया और उसके विरोध के बावजूद उसे बिस्तर पर धकेल दिया और कपड़े के टुकड़े का उपयोग करके उसका मुंह बंद कर दिया। इस प्रकार, इसी पहलू पर विचार करते हुए, यह संभव है कि चोट के कोई बड़े निशान न हों।

16. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह स्थापित सिद्धांत है कि बलात्कार के मामले में अभियोक्त्री का साक्ष्य घायल गवाह के समान ही महत्व रखता है और अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह के वाद में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया:

'21... न्यायालयों को किसी वाद की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोक्त्री के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो घातक प्रकृति के नहीं हैं, ताकि अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज न किया जाए। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य विश्वास जगाता है, तो तात्त्विक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि मांगे बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर पूर्ण रूप से भरोसा करना कठिन लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके, जो किसी सह-अपराधी के मामले में आवश्यक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पुष्टि से कम हो। अभियोक्त्री की गवाही की सराहना पूरे मामले की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए और विचारण न्यायालय को अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत रहना चाहिए तथा यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटते समय संवेदनशील होना चाहिए।'

17. भरवाड़ा भोगिनभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य के वाद का भी एक लाभदायक संदर्भ दिया जा सकता है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया:

'9..भारतीय परिवेश में, यौन उत्पीड़न की पीड़िता की गवाही पर एक नियम के रूप में पुष्टि के अभाव में कार्य करने से इनकार करना, जले पर नमक छिड़कने के समान है। बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या शक के चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए?''

18. मैंने पूर्ववर्ती प्रस्तारों में चर्चा किए गए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचारपूर्वक ध्यान दिया है। जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब का संबंध है, चूंकि घटना गांव की है, प्रारंभ में पंचायत हुई और पी.डब्ल्यू.6 दोस्त मोहम्मद पंचायत का गवाह था, जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि पंचायत में दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों पर 551/- रुपये का जुर्माना लगाया गया था और साथ ही उनका मुंह काला करने का भी निर्णय लिया गया था, लेकिन ग्राम प्रधान ने अभियुक्त-अपीलार्थियों को भगा दिया था, तत्पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, इसलिए विलंब स्वाभाविक है क्योंकि उन दिनों किसी भी विवाद के समाधान के लिए पंचायत आयोजित करना एक सामान्य प्रथा थी। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क कि 'एक्स' की पूरक रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि 'एक्स' यौन संबंध की अभ्यस्त है, न्यायालय की राय में यद्यपि, 'एक्स' यौन संबंध की अभ्यस्त है लेकिन यह अभियुक्त-अपीलार्थियों को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपराध कारित करने की अनुमति नहीं देता है और अपराध कारित करते समय, घटना को पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 ने भी देखा था। उपरोक्त के अतिरिक्त, यह न्यायालय पाता है कि पी.डब्ल्यू.1 का बयान दर्शाता है कि उसे तालाब से जबरन उठाया गया था और गन्ने के खेत में ले जाया गया था, जहां अभियुक्त-अपीलार्थियों ने 'एक्स' के साथ बलात्कार किया था, जिसे पी.डब्ल्यू.2 और पी.डब्ल्यू.3 ने भी देखा था और पी.डब्ल्यू.2 तथा पी.डब्ल्यू.3 का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संस्करण भी पी.डब्ल्यू.1 के संस्करण की पुष्टि करता है। इसलिए अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवेदनों में कोई बल नहीं है।

19. वर्तमान वाद के तथ्यों पर विधि के उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, मेरी यह राय है कि अभियोक्त्री की गवाही भरोसेमंद है और उसके मामले को अमान्य करने के लिए संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी अभियोक्त्री की गवाही में कोई संध लगाने में विफल रहे हैं। इसके अलावा, अभियोक्त्री और घटना के चश्मदीद गवाहों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का संदेह की छाया से परे लगातार समर्थन किया है और ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया है जो अभियुक्त अपीलार्थियों को झूठा फंसाने की ओर ले जाए।

20. की गई चर्चाओं और विचार-विमर्श के दृष्टिगत, यह आपराधिक अपील विफल होती है और **खारिज** की जाती है। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला बुलंदशहर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 281 वर्ष 1986 (राज्य बनाम अंशू और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 128 वर्ष 1985 से उत्पन्न हुआ है, में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.11.1987, जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थियों को धारा 376 भा.द.सं. के अंतर्गत दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है, के माध्यम से अभियुक्त अपीलार्थियों अंशू और रमज़ान की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है।

21. अभियुक्त-अपीलार्थी- अंशू और रमज़ान जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मोचित किए जाते हैं। अपीलार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे शेष सजा काटने के लिए तत्काल संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करें। यदि अपीलार्थी आत्मसमर्पण करने में विफल रहते हैं, तो सीजेएम बुलंदशहर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।

22. विचारण न्यायालय का अभिलेख इस आदेश की प्रति के साथ तत्काल संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाए।

23. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय और आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलंदशहर को प्रेषित करें।

24. सीजेएम बुलंदशहर आज से दो महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



25. यह न्यायालय अपीलार्थी संख्या 2 के विद्वान न्याय मित्र श्री नीरव श्रीवास्तव द्वारा प्रदान की गई सहायता की सराहना करता है। राज्य सरकार उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 15,000/- रुपये का भुगतान करेगी।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

3 अगस्त, 2026

एस.अली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”